

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक: एफ/महा.वि.प./2011/3593

दिनांक: 30/07/11


// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : डीम बेली कॉलेज फॉर गर्ल्स, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. श्रीमती गायत्री मण्डेलिया, सदस्य, कार्यपरिषद्
2. डॉ. रेणु जैन, शासकीय महाविद्यालय, गुना


उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, डीम बेली कॉलेज फॉर गर्ल्स, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य क्वाटिफिकरी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे पहिचान हो।



फोन : गृहीत/दिनेरी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/संबन्धता/2012/ 4925

दिनांक 24/5/12

// सूचना //

ड्रीम वेली कॉलेज फॉर गर्ल्स सिधौली ग्वालियर, में सत्र 2012-13 से बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम. (सामान्य) एवं बी.कॉम. (कम्प्यूटर साइंस) में सीट संख्या ने वृद्धि हेतु माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार पूर्व गठित समिति से निरीक्षण कराया जाना है। पूर्व गठित समिति निम्नानुसार है।

1. प्रो. आर.जे. राव, आचार्य, प्राणिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
2. प्रो. एस.के. गुप्ता, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
3. डॉ. के.एस. ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

समिति से अनुरोध है, कि प्रकरण में निरीक्षण कर प्रतिवेदन 07 के अन्धर डी.सी.डी.सी. कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

समिति के सदस्यों को मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रति संबंधित सदस्यों की और सूचनाएँ।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, ड्रीम वेली कॉलेज फॉर गर्ल्स सिधौली की और सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप कुलसचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एम.एस.ए.ए. कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाने व कि पत्रों अथवा पत्राचारों के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर कोई पत्र न एम.एस.ए.ए. द्वारा भेजा जाये वरन् केवल एम.एस.ए.ए. द्वारा भेजा जाने चाहिये।



फोन : 2442452
दूरभाष : 0091-0751-2442801 (ग्वालियर)
2442452 (ग्वालियर)
फैक्स : 0091-0751-2441768
E-mail : jureg_gwb@rediffmail.com
Website : http://www.jjwgi.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5370

दिनांक : 17/10/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के प्र. क्रमांक (16) के निर्णयानुसार डीम वेली कॉलेज फॉर गर्ल्स, सिविली, ग्वालियर जो सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संश्लेषित बी.बी.ए., बी.बी.ए., बी.कॉम, प्लेन/कम्प्यूटर, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा परिशिष्ट 28 के अन्तर्गत पर्याप्त शिक्षकों एवं असीमणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ आवश्यक रूप से कर ली जावे।
2. महाविद्यालय द्वारा एक लाख रु. की पुस्तकें प्रयत्न की जावे, समस्त विषयों के लिए।
3. 10 पी-04 कम्प्यूटर प्रयत्न किये जावे।
4. परिशिष्ट 27 एवं 28 का पालन किया जावे तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से किया जावे।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राधान, डीम वेली कॉलेज फॉर गर्ल्स, सिविली, ग्वालियर
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, स्तम्भपुर भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बैंगल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/संगोपीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

